

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
नवम् मण्डल, सिंचाई कार्य, बहराइच

अति अल्पकालीन कोटेशन नोटिस

महामहिम राज्यपाल महोदय, उ०प्र० की ओर से जनपद-श्रावस्ती, में राप्ती मुख्य नहर किमी० ०.००० से किमी० ५०.००० एवं वितरण प्रणालियों के पक्के कार्यों हेतु निम्नानुसार कार्यस्थल पर शीट पाइल की आपूर्ति हेतु मूल निर्माताओं से दिनांक २४.०३.२०१७ को अपरान्ह ३.०० बजे तक मुहरबन्द कोटेशन अधीक्षण अभियन्ता, नवम् मण्डल, सिंचाई कार्य, बहराइच के कार्यालय में आमंत्रित किए जाते हैं, जो उसी दिन अपरान्ह ४.०० बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, नवम् मण्डल, सिंचाई कार्य, बहराइच के कार्यालय में खोली जायेगी। उक्त तिथि को अवकाश होने की स्थिति में कोटेशन अगले कार्य दिवस में उसी समय खोला जायेगा :-

क्रमांक	स्टील का विवरण	अधिकृत श्रेणी
1	2	5
1.	Z-Type Steel Sheet Piles of size 400X185X8mm, Section Cold Rolled, Length 12.00m-12.50m long manufactured from Steel Plate conforming to IS:2062 Gr E-250A	मूल निर्माता

नियम व शर्तें-

- कोटेशन डालने का अधिकार आई०एस०ओ० सर्टीफाइड मूल निर्माताओं को ही होगा तथा किसी अन्य द्वारा दिया गया कोटेशन मान्य नहीं होगा।
- कम्पनी का अधिकृत व्यक्ति जो कि कोटेशन डाक्युमेन्ट पर हस्ताक्षर करेगा एवं कोटेशन खोलने में भाग लेगा कम्पनी द्वारा जारी Authorisation letter from the competent authorities of the company कोटेशन के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- Company shall have a valid sheet piles manufacturing license.
- Company must attach balance sheets of the previous three year with quotation documents.
- Company shall have VAT (TIN) and PAN number.
- Company shall have experience of more than three year of supply of sheet piles
- कम्पनी द्वारा दी जाने वाली दरों में शीट पाइल का मूल्य तथा ट्रान्सपोटेशन (मय लोडिंग, अनलोडिंग व स्टैकिंग) की दरें सम्मिलित होंगी।
- अधोहस्ताक्षरी द्वारा शीट पाइल की आपूर्ति आवश्यकतानुसार ली जायेगी, जो कि माह मई २०१५ से जुलाई २०१५ तक प्रस्तावित है एवं उपरोक्तांकित मात्रायें घट/बढ़ सकती हैं।
- शीट पाइल की आपूर्ति निम्नलिखित कार्यस्थल पर ली जानी प्रस्तावित है।
(क) इमिलिया स्टोर जनपद- बलरामपुर।
(ख) शिवपुरा-अमवा स्टोर जनपद-बलरामपुर।
- अधोहस्ताक्षरी को किसी या समस्त कोटेशन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- कोटेशन के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
- कोटेशन में दी गयी दरों को शब्दों तथा अंकों में लिखना अनिवार्य होगा एवं अंको व शब्दों में दी गयी दर में अन्तर होने पर शब्दों में अंकित दर को ही स्वीकार किया जायेगा।
- कोटेशन में किसी प्रकार का संशोधन/ओवर राइटिंग होने पर कोटेशनदाता को उक्त स्थान पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
- निर्धारित समय पर आपूर्ति न किये जाने पर ०.५० प्रतिशत वैल्यू आफ सप्लाइ आर्डर की कटौती की जायेगी।
- वांछित मानको से भिन्न यदि आपूर्ति की जाती है तो उसको स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- आपूर्ति अवधि में दरों में बढ़ोत्तरी मान्य नहीं होगी।
- कोटेशन में दरें अंकित करने से पहले निर्माताओं को स्टोरों तथा दूरी का परीक्षण कर लेना चाहिये बाद में कोई दर/क्लैम मान्य नहीं होगा।

अधीक्षण अभियन्ता
नवम् मण्डल, सिंचाई कार्य
बहराइच